<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी.ए./4119/2005/धौलपुर</u>

1.फैरन सिंह 2. बाके सिंह पुत्रान श्री नबाब सिंह जाति ठाकुर निवासी सैपउ तहसील सैपउ जिला धौलपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. लज्जाराम पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सैपउ हाल निवासी स्वामी जी कुईया,ग्वालियर मध्य प्रदेश
2. लोंगश्री बेबा कन्हैया लाल
3. पप्पू पुत्र कन्हैया लाल
4. सन्तो पुत्री श्री कन्हैया लाल
5. पुष्पा पुत्री श्री कन्हैया लाल
6. जगजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह मृतक जरिये वारिसान –

6/1.रेवती पत्नी स्व. श्री जगजीत सिंह

6/2. हमवीर सिंह पुत्र स्व. श्री जगजीत सिंह

6/3. गिर्राज सिंह उर्फ पप्पू पुत्र स्व. श्री जगजीत सिंह

7. लाखन पुत्र जनक सिंह मृतक जरिये वारिसान–

7/1. रमेश पुत्र स्व. लाखन

7/2. राजू पुत्र स्व. लाखन

7/3. सन्ता सिंह पुत्र स्व.श्री लाखन

7/4.गुडडू पुत्र स्व. श्री लाखन

7/5.वन्दू पुत्र स्व. लाखन

7/6. रम्मो पुत्र स्व. लाखन

7/7. सन्ता पुत्र स्व. लाखन

8. सोवरन सिंह पुत्र जनक सिंह

9. ओमी पसु. स्व. जनक सिंह मृतक जरिये वारिसान–
9/1. मनोज पुत्र स्व. ओमी
9/2. विष्णु पुत्र स्व. ओमी
9/3. रवि पुत्र स्व. ओमी
9/4. गौरव पुत्र स्व. ओमी
9/5. मोटो पुत्र स्व. ओमी
9/6. रिकू पुत्र स्व.ओमी समस्त जाति ठाकुर निवासीगण गांव मुकाम पोस्ट सैपउ तहसील सैपउ जिला धौलपुर
10. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री ओंकार लाल दवे अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जयपाल चावला अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः17.12.2019

1. यह अपील भूप्रबनध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–8–05 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर धौलपुर के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 लज्जाराम ने अपीलार्थीगण एवं अन्य प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88,188 व 53वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत पेश किया।

विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित कुल आठ तनकीयात कायम की। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 31–3–2003 से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12–8–2005से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को निरस्त कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादी लज्जाराम ने वादग्रस्त भूमि के बाबत दावा किया था उसमें 1/4हिस्से कीही घोषणा करने की दादरसी चाही थी किन्तु अपीलीय न्यायालय ने लज्जाराम के साथ अन्य लोगों को भी खातेदार घोषित कर दिया जिन्होंने न तो दावा किया और न ही अपील की है। प्रत्यर्थी वादी लज्जाराम बचपन में ही साधू बन चुका है। यह तथ्य उसने विचारण न्यायालय में दिनांक 11–7–2000 को दिये बयानों में स्वीकार किया है। सन्यासी होने पर व्यक्ति का परिवार से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उनका तर्क है कि एक भाई ने पूरी आराजी का विक्रय कर दिया और दूसरे भाई से दावा कराकर स्वयं उसने इकबाली जबाब दावा पेश कर दिया। इस तथ्य को नहीं समझने में अपीलीय न्यायालय ने विधिक भूल की है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1999 राज. पेज334, 2004 आर आर डी पेज 501, ए आई आर 2001 एस सी पेज1866,2016(1) आर आर टी पेज 56 की नजीरें पेश की।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण ने जो जबाब पेश किया है उसमें प्लीडिंग में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया है कि लज्जाराम साधू बन गया और परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं रहा है या सिविल डेथ हो गई। वाद पत्र व जिरह में कथन किया कि वह 16साल की उम्र में साधू हो गया था लेकिन इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है कि वह काश्त नहीं करता था। उसने कथन किया है कि वह सन्यासी बनने के बाद कई बार गांव आया है। जब तक यह तथ्य साबित नहीं हो कि किस तारीख को सेरेमनी हुई थी, दीक्षा कब दी, पिण्डदान किसने किया तब तक सिविल डेथ नहीं मानी जा सकती है। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद को डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज योग्य है। अपने कथन के समर्थन में ए आई आर 1979पेज 197 की नजीर पेश की।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2021–24 प्रदर्श–3 में जनक सिंह, कन्हैयालाल, लज्जाराम व जगजीत पिसरान बलवन्त बहिस्सा बराबर खातेदाद दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्बत 2051–54 प्रदर्श–2 में फैरन सिंह व बाके सिंह पिसरान नबाब सिंह खातेदार दर्ज है। अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में नकल

जमाबन्दी सम्बत 2022 पेश की गई है जिसमें अकेले कन्हैया लाल पुत्र बलवन्त खातेदार दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार पूर्व में वादग्रस्त आराजी कन्हैया, जनक, लज्जाराम व जगजीत के नाम संयुक्त खातेदारी में अंकित थी। भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्बत 2022 में अकेले कन्हैया के नाम दर्ज की गई है। बिना किसी सक्षम न्यायालय के भू प्रबन्ध विभाग को पूर्व इन्द्राजात को बदलने का अधिकार नहीं है बल्कि पूर्व इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने वाद को सही रूप से डिक्री किया है। जहां तक लज्जाराम के साधु बनने का प्रश्न है,प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में प्लीडिंग में कही भी इस तथ्य को अंकित नहीं किया है कि लज्जाराम साधू बन गया और उसकी सिविल डेथ हो गई। ए आई आर 1979 पेज197 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि प्लीडिंग से परे निर्णय पारित नही किया जा सकता। लज्जाराम के बयान महत्वपूर्ण हैं जिसने अपने बयानें में जिरह में यह कथन किया है कि ‘‘मैं 16 साल की उम्र से साधू हो गया हूॅ मैं सन्यासी हूॅ। सन्यासी के रूप में मेरा नाम स्वामी सचदानन्द है। वर्तमान में मेरा निवास ग्वालियर में है पहले मैं करनवास चला गया जहां जय जय राम बाबा सैपउ के हैं,सैपउ में यज्ञ हुई थी.....। यह गलत है कि मैं 16 साल की उम्र से काश्त नहीं करता हूॅ बल्कि काश्त कराता था। मैं सन्यासी होने के बाद गांव में आता जाता रहता हूॅ।गल्ला लेने आता हूॅ। मुझे नहीं पता कि विवादित आराजी को फैरन सिंह व बाके सिंह प्रतिवादीगण 20–25 साल से काश्त कर रहे हों। कन्हैया लाल मेरा भाई है। कन्हैया लाल इससे पहले काश्त करता था मेरे खेत में नहीं करते थे। झगडे वाले खेत को मेरे चाचा का

लडका काश्त करता था। इस प्रकार लज्जाराम की साक्ष्य से उसके पूर्ण रूप से साधु होने के बाबत कोई सामाजिक समारोह, दीक्षान्त समारोह, पिण्डदान आदि के तथ्यों को भी साबित नहीं किया है। साथ ही हिन्दू विधि में सन्यासी के के सम्बन्ध में यह व्याख्या की गई है कि–

A person does not become a sanyasi by merely declaring himself a sanyasi or by wearing clothes ordinarily worn by sanyasi. He must perform the ceremanies necessary for entering the class of sanyasis,without such ceremonies he cannot become dead to the world.

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य को मध्य नजर रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा वाद को डिक्री करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्वा नहीं होते हैं। हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो से पूर्णतया सहमत हैं।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य